राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

डाक पंजी. क्र.- MP/KDW/93/2023-24 | Email id: haldharkisankgn@gmail.com | RNI NO. MPHIN/2022/85285

वर्ष 03 अंक 10 | 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 | पृष्ठ- 8 मूल्य- 5.00 रुपए

किसानों को बिना गारंटी के मिलेगा 2 लाख का लोन

आरबीआई ने किसानों को दी बड़ी राहत

हलधर किसान

नई दिल्ली। महंगाई और कृषि में उपयोग होने वाले कच्चे माल की लागत में वृद्धि को देखते हुए गारंटी फ्री एग्री लोन की सीमा को 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का निर्णय किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपने आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी में किसानों को बड़ी राहत दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बढ़ती महंगाई से किसानों को राहत देने के उद्देश्य से बिना गारंटी के अब दो लाख रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अभी यह सीमा 1.6 लाख रुपए है। इससे पहले आरबीआई ने लगातार 11वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव ना करने का फैसला लिया। इसका मतलब है कि रेपो रेट 6.5 फीसदी पर कायम रहेगा। दूसरी ओर सरकार ने कैश रिजर्व रेश्यो में कटौती करते हुए 4 फीसदी पर कर दिया है, जिससे देश के बैंकों को 1.15 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिलेगा।

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि महंगाई और कृषि में उपयोग होने वाले कच्चे माल की लागत में वृद्धि को देखते हुए गारंटी फ्री एग्री लोन की सीमा को 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का निर्णय किया गया है। इससे वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने को लेकर छोटे और सीमांत किसानों का दायरा बढ़ेगा। आरबीआई ने 2010 में कृषि क्षेत्र को बिना किसी गारंटी के एक लाख रुपये देने की सीमा तय की थी। बाद में, 2019 में इसे बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए कर दिया गया था। आरबीआई ने कहा कि इस संबंध में सर्कुलर जल्द ही जारी किया जाएगा।

रेपो रेट में 11वीं बार कोई बदलाव नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पांचवीं मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग में लगातार 11वीं बार पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा, हालांकि इकोनॉमी में नकदी बढ़ाने के मकसद से केंद्रीय बैंक ने सीआरआर को 4.5 फीसदी से घटाकर चार फीसदी कर दिया। इस कदम से बैंकों में 1.16 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी।

किसानों को कोलैटरल फ्री लोन कैसे मिलता है?

बैंक या वित्तीय संस्थाओं से संपर्क- किसान नजदीकी बैंक या वित्तीय संस्थान से संपर्क करते हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन देते हैं।

आवेदन प्रक्रिया- किसान को एक लोन आवेदन फॉर्म भरना होता है, जिसमें उनकी कृषि गतिविधियों, आवश्यकताए और परिवार की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी देनी होती है। दस्तावेज़ों की जांच- आम तौर पर, बैंक किसानों की पहचान और कृषि गतिविधि के संबंध में आवश्यक दस्तावेज़ों (जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, भूमि स्वामित्व प्रमाण, आदि) की जांच करते हैं।

लोन स्वीकृति- अगर सबकुछ ठीक होता है, तो लोन स्वीकृत किया जाता है और राशि बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

कोलैटरल फ्री लोन के फायदे

किसान किसी संपत्ति को गिरवी रखे बिना लोन प्राप्त कर सकते हैं। यह लोन किसानों को अपनी खेती, कृषि उपकरण, और अन्य संसाधनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कम ब्याज दररू इस तरह के लोन पर सामान्यतः ब्याज दरें कम होती हैं, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर लोन के तहत आते हैं।

कोलैटरल फ्री लोन की प्रक्रिया आसान और तेज होती है, जिससे किसान जल्दी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

बीज देने के नाम पर कंपनी ने जमा कराई लाखों रुपए की एडवांस राशि

-एक साल बाद भी बीज नही मिलने पर व्यापारी ने पाहुजा कंपनी से मांगी एडवांस जमा राशि

हलधर किसान भोपाल। गेहूं बीज बिक्री के नाम पर एक नामी कंपनी पर व्यापारी ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। व्यापारी का आरोप है कि एक साल पहले साढ़े पांच लाख रुपए की राशि कंपनी के खाते में जमा कराई है, लेकिन एक साल बाद भी बिक्री के लिए बीज नही भेजा गया। व्यापारी ने परेशान होकर कंपनी को लिखित आवेदन भेजकर अपनी जमा राशि वापस मांगी है।

सरस्वती ट्रेडर्स लालगंज अझारा प्रतापगढ़ के व्यापारी ने पाहुजा बायोटेक प्रायवेट लिमिटेड गदरपुर यूएस नगर उत्तराखंड को भेजे आवेदन में बताया कि उन्होंने 30 अक्टूबर 2023 को यूटीआर नंबर बीएआरबीक्यू 23303133089 पर 3 लाख और यूटीआर नं- बीएआरबीव्हाय 23307343118 पर ढाई लाख रुपए याने टोटल साढ़े पांच लाख रुपए सर्टिफाइड गेहूं खरीदी के लिए बतौर एडवांस राशि पाहुजाजी से चर्चा के बाद डाली थी। पेमेंट भेजने के बाद से कंपनी में कोई फोन अटैंड नही कर रहा, मार्च में बात होने पर उन्होंने 91000 का एसएसजी बीज दिया और कहा कि आप की जमा राशि ब्याज सहित अक्टूबर 2024 में गेहूं बीज उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद जब दो माह पहले याने अक्टूबर में बात हुई तो उन्होंने कहा आपका आर्डर बनाकर भेज दिजिए, एक दो दिन में बीज भेज देंगे। आर्डर भेजने के बाद फिर वही स्थिति है, अब कोई फोन अटैंड नही कर रहा है। सरस्वती ट्रेडर्स के व्यापारी ने पत्र में नाराजगी जताते हुए कहा है कि में कंपनी के व्यवहार से परेशान हो गया है, एमडी महोदय मुझे मेरी जमा राशि 3 लाख 17 हजार 330 रुपए बकाया है, जिसे मेरे बैंक खाते में वापस भेज दिजिए, मैं कंपनी से अब कोई व्यवहार नही रखना चाहता। पाहुजा बायोटेक प्रा- लि. जैसी नामी कंपनी के इस बर्ताव की जानकारी उन्होंने अपने क्षेत्र के अन्य व्यापारियों को भी देते हुए उनसे व्यापार नही करने की मांग की है। इस मामले में कंपनी अधिकारी के मोबाइल नंबर 99270 29561 पर संपर्क किया गया, रिंग जाने के बाद भी किसी ने फोन अटैंड नही किया, जिससे कंपनी का पक्ष नही मिल सका।

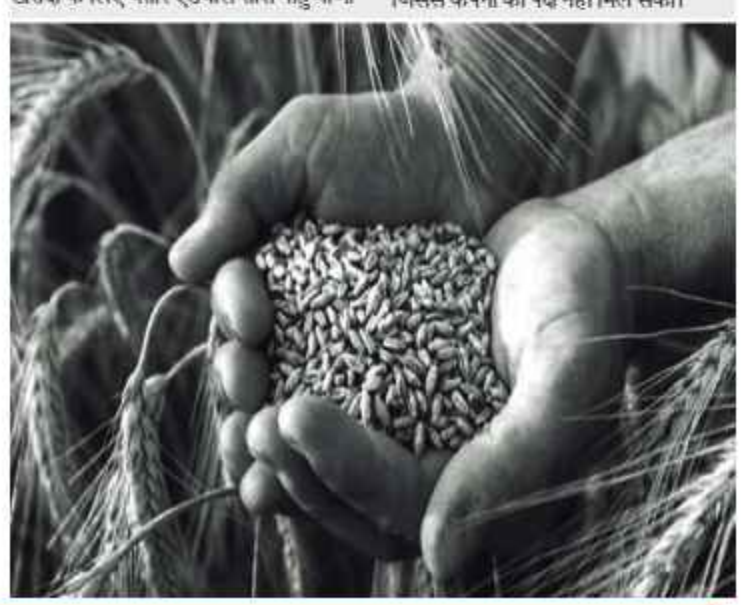

एक ऐसा गांव जहां जाने के लिए लगता है टिकट

खुरपी नेचर गांव, जो प्रकृति से जुड़ाव के साथ स्वरोजगार को दे रहा बढ़ावा

हलधर किसान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव जो हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। इस गांव की खासियत यह है कि यहां आप बगैर टिकट के नही जा सकते। यहां एक ऐसा गांव है। जहां जाने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। जी हां, चौंकिए मतस्त इस गांव की खासियत ही ऐसी है। जिसे देखने के लिए दूर.दूर से लोग यहां आते हैं। इस बेहद खास गांव को बसाया है एमबीए की पढ़ाई करने वाले एक युवा ने। जिला गाजीपुर का ये गांव इतना खास हो गया है कि अब लोग यहां दूर.दूर से घूमने के लिए आते हैं।

इस गांव में जाने के लिए 20 रुपए का लगता है टिकटउत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में ग्राम खुरपी एक ऐसा गांव है, जहां जाने के लिए आपको 20 रुपए का टिकट खरीदना पड़ता है। यह गांव गाजीपुर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यह गांव नेचर जुड़ा है, ये गांव आपको प्रकृति के नजदीक ले जाता है। इस गांव में चिड़ियाघर है। किताबों का बगीचा है। तालाब में आधुनिक तकनीक से एकीकृत मछली और मुर्गी पालन हो रहा।

इतना ही नहीं, नीचे तालाब में मछली और ऊपर मुर्गी पालन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के लिए फ्री खाने की व्यवस्था तो सेना की तैयारी कर रहे छात्रों के ओपेन जिम भी है। तालाब किनारे बैठकर कुल्हड़ चाय आनंद भी ले सकते हैं तो घुड़सवारी और बोटिंग भी है और देसी खाना भी मिलेगा और इस गांव को बसाया है युवा सिद्धार्थ राय ने। एमबीए की पढ़ाई के बाद उन्होंने नौकरी की और एक दिन गांव लौट आए। अब आप पढ़िए खुरपी विलेज के पूरे मॉडल की कहानी सिद्धार्थ की जुबानी...

क्यों चर्चा में है खुरपी विलेज का मॉडल

गाजीपुर का खुरपी विलेज अपनी सुंदरता के अलावा अपने मॉडल पर भी इतरा रहा है। देशी मुर्गी का पालन हो रहा। अंडे बाजार में बेचे जा रहे। इस काम में 4 से 5 लोग लगे हैं, जो आसपास के ही हैं। इसके अलावा 50 से ज्यादा दूसरे मवेशी भी हैं।

मिथेन गैस निकालकर गोबर को केंचुओं के हवाले कर दिया जाता है। केंचुएं उसे खाकर और चालकर जैविक खाद में बदल दे रहे। इस खाद को अपने खेत में तो डाला ही जा रहा, बाहर किसानों को बेचा भी जा रहा। इस विलेज में गाय, बकरी, मछली पालन, बत्तख, मुर्गा, केचुआ, खरगोश और तीतर हैं। शुतुरमुर्ग भी है जिनके साथ लोग सेल्फी खिंचाने आते हैं।

कैसे बना खुरपी विलेज

खुरपी विलेज लगभग डेढ़ एकड़ में फैला है। इसे स्वरोजगार की एक श्रृंखला के रूप में देखा जा रहा। इसके बारे में सिद्धार्थ बताते है, एमबी, करने के बाद बेंगलुरु गया और वहां अच्छे पैकेज पर नौकरी भी की। 2014 में इस मॉडल को लेकर ख्याल आया और लोकसभा चुनाव के समय अपने गांव लौट आया। उसके बाद रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के साथ जुड़ा और उनके साथ काम किया, उनका निजी सचिव भी रहा।

सिद्धार्थ आगे बताते हैं वाराणसी हाई.वे से लगभग 5 किलोमीटर दूर अगस्ता गांव के पास खेतों के बीच में अपने मित्र अभिषेक के साथ सबसे पहले लगभग डेढ़ एकड़ जमीन में गाय पालन शुरू किया। दूध का कारोबार शुरू किया। धीरे.धीरे अगल बगल के गांव वालों को गाय और भैंस के लिए आर्थिक मदद की और उनके दूध खरीदना शुरू कर दिया। गायों को खिलाया जाने वाला अनाज गोबर में निकलता देख मुर्गी पालन का ख्याल आया। गायों के गोबर को मुर्गियों देना शुरू कर दिया। बचे हुए गोबर के अवशेष को केंचुए की मदद से देसी खाद बनाकर पैक किया जाने लगा। बीच में एक तालाब बनाकर मछली पालन, बत्तख पालन का कार्य शुरू हो गया। आज के समय हमारे साथ सैकड़ों लोग जुड़े हैं और किसी न किसी तरीके से उनकी आय हो रही है।श

प्रभु की रसोई में सब के लिए खाना

खुरपी विलेज में प्रभु की रसोई है जहां रोजाना 100 से 150 लोगों का खाना बनता है। ये खाना उन गरीबों के लिए है, जिन्हें दो टाइम खाना नसीब नहीं होता। सिद्धार्थ बताते है ?कि जब मै गांव आया तो देखा कि गरीबों को खाने की दिक्कत है। उसे ध्यान में रखकर प्रभु की रसोई की शुरुआत की।

यहां रोजाना आम लोगों के दिए दान से खाना बनता है। सिद्धार्थ इसके लिए हर साल कई राज्यों का दौरा करते हैं दान में मिले अनाज को प्रभु की रसोई को सौंप देते हैं।

युवाओं के लिए जिम, लड़कियों के लिए सिलाई मशीन और किताबों का बगीचा

सिद्धार्थ बताते है पूरा देश जानता है कि देश सेवा में जिला गाजीपुर कितना आगे रहा है, लेकिन जहां मैं रहता हूं, उस क्षेत्र में युवाओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इसके ध्यान में रखकर हमने एक ऐसा जिम शुरू कराएए जहां युवा सुबह शाम कसरत कर सकें।इसके अलावा सेना की तैयारी में जुटे युवाओं को रसोई में खाना भी मिलता है। लड़कियों के लिए सिलाई मशीन और कंप्यूटर सेंटर है, जहां गांव की लड़कियां खुद को पारंगत कर सकती हैं। इसके अलावा किताबों का बगीचा भी जहां हर कोई अपने मतलब की किताबें पढ़ सकता है। इस किताबें पढ़कर लौटानी होती है।

श्वेत क्रांति की ओर बढ़ता भारत...

एक ताजा आंकड़ा बताता है कि दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बने रहने का भारत का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर, जो कि देश में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन की जयंती पर मनाया जाता है, जारी किये गये आंकड़े के अनुसार, 2023.24 में दूध उत्पादन देश में चार प्रतिशत बढ़कर 23.9 करोड़ टन हो गया, जो 2022.23 में 23 करोड़ टन था। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी 459 ग्राम दैनिक से बढ़कर 471 ग्राम दैनिक हो गयी है।

चूंकि दूध प्रोटीन और कैल्शियम का सहज स्रोत है, इसलिए इसके उत्पादन में अग्रणी बने रहने की उपलब्धि मानव स्वास्थ्य के साथ.साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी उल्लेखनीय है इस क्षेत्र में हुई प्रगति को इस तरह देखा जा सकता है कि 1991.92 में यहां दुध उत्पादन 5.56 करोड़ टन था, जबकि प्रति व्यक्ति उपलब्धता मात्र 178 ग्राम थी, लेकिन 2014.15 से 2021.22 के बीच देश में दुग्ध उत्पादन में 51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। पिछले एक दशक में अपने यहां दूध उत्पादन की वृद्धि दर वैश्विक दो फीसदी के मुकाबले छह प्रतिशत रही है।

वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी करीब 24 फीसदी है, जो जीडीपी का चार से पांच प्रतिशत है। भारत का लक्ष्य 2030 तक देश में वैश्विक दुग्ध उत्पादन की एक तिहाई हिस्सेदारी तक पहुंचना है और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इस दिशा में काम कर रहा है। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में इन पांच राज्यों की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका है, लेकिन प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता में भारत विकसित देशों से बहुत पीछे है। इस मामले में डेनमार्क पहले स्थान पर है।

पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा डेयरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनायें चलायी जा रही हैं। डेयरी विकास के लिए बने राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाना है। गौरतलब है कि श्वेत क्रांति के करीब साढ़े पांच दशक बाद देश में दूसरी श्वेत क्रांति की शुरुआत सरकार ने इसी साल की है, जिसका उद्देश्य सहकारी सोसाइटीज को और मजबूत करना, रोजगार बढ़ाना तथा स्त्री सशक्तिकरण है। यानी इस दिशा में आगे बढ़ने का सिलसिला अभी जारी रहने वाला है।

दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में बेहतरी के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति के दूसरे चरण की योजना घोषित की हैए जिसका मुख्य लक्ष्य महिला किसानों का सशक्तीकरण और रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस कार्यक्रम में चार

संपादकीय

प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा. महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय स्तर पर दूध उत्पादन बढ़ाना, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना तथा दुग्ध उत्पादों का निर्यात बढ़ाना।

अमित शाह ने रेखांकित किया है कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में सबसे अधिक महिलाएं कार्यरत है। ये महिलाएं केवल गुजरात में ही 60 हजार करोड़ रुपये का कारोबार पैदा करती हैं। श्वेत क्रांति के दूसरे चरण में आगामी पांच वर्षों में दुग्ध सहकारी संस्थाओं द्वारा दूध खरीद में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।उल्लेखनीय है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। साल 2022.23 में देश में 230.58 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ था। वर्तमान वित्त वर्ष 2024.25 में दुग्ध क्षेत्र की कमाई में 13.14 प्रतिशत की उत्साहजनक वृद्धि की उम्मीद है। इस क्षेत्र में मांग में मजबूती बनी हुई है और दूध की आपूर्ति में भी बेहतरी आ रही है।

जिस प्रकार पांच दशक पहले ऑपरेशन फ्लड का आधार सहकारिता संस्थाएं बनी थीं और देश में श्वेत क्रांति हुई थी, उसी तरह नयी योजना में भी इन संस्थाओं की प्रमुख भूमिका होगी। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में की गयी थी, जिसने दुग्ध क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया थाण् दूध की मांग और आपूर्ति में वृद्धि को गति देने के लिए दूध खरीद का दायरा बढ़ाने, दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता में बढ़ोतरी और वितरण नेटवर्क को विस्तार देने के लिए निवेश और पूंजी उपलब्धता को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

इस मामले में अमित शाह द्वारा डेयरी किसानों के लिए रुपे किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने तथा डेयरी सहकारिता सोसायटियों में एटीएम मशीन की सुविधा देने की घोषणा से बड़ी मदद मिल सकती है। साथ ही, 67,930 पैक्स सोसायटियों का कंप्यूटराइजेशन भी होगा। एक लाख नयी और पुरानी सहकारिता संस्थाओं का गठन और मजबूत करना इस योजना का एक उल्लेखनीय आयाम है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड शुरुआत में एक हजार बहुद्देशीय पैक्स को प्रति सोसायटी 40 हजार रुपये उपलब्ध करायेगा ताकि उन्हें आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दुग्ध मार्गों से जोड़ा जा सके। इन प्रयासों से वित्त उपलब्धता भी बढ़ेगी और अधिक से अधिक किसानों को सहकारिता संरचना से जोड़ भी जा सकेगा। स्वाभाविक रूप से इससे महिला किसानों की आमदनी बढ़ेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के मौके बनेंगे। आशा है कि लगभग 13 करोड़ किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

जाने साल 2025 में कब.कब लगेगा सूर्य, चंद्र ग्रहण

भारत में सूर्य, चंद्र ग्रहण का क्या रहेगा असर, कब रहेगा सूतक

हलधर किसान

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन (सोनी)

अजमेर. नए साल याने 2025 में चार ग्रहण लगने जा रहे हैं, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण होंगे और 2 चंद्र ग्रहण। ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जिसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही क्षेत्र में काफी महत्व है। शास्त्रों में ग्रहण के दौरान होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और इसका धार्मिक पहलू भी बताया गया है। अजमेर के ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन (सोनी) ने बताया मान्यता है कि एक साल में तीन या उससे अधिक ग्रहण का होना शुभ नहीं माना जाता। अगर ऐसा होता है तो ग्रहण से देश में रहने वाले लोगों को कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है।

पहला चंद्रग्रहण

साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण विक्रम संवत 2081, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 14 मार्च दिन शुक्रवार को लगेगा और इस दिन होलिका दहन भी होगा। ग्रहण काल . उपछाया सुबह 9 बजकर 27 मिनट से दोपहर 3 बजकर 30 मिनट तक (कुल अवधि . 6 घंटे 3 मिनट) आंशिक ग्रहण . 10 बजकर 40 मिनट से दोपहर 2 बजकर 18 मिनट (कुल अवधि . 3 घंटे 38 मिनट) पूर्ण ग्रहण . 11 बजकर 56 मिनट से दोपहर 1 बजकर 1 मिनट तक ;कुल अवधि. 1 घंटा 5 मिनट, ग्रहण का मध्यकाल . 12 बजकर 29 मिनट से रहेगा।

कहां नजर आएगा ग्रहण . यूरोप, आंशिक एशिया, आंशिक ऑस्ट्रेलिया, आंशिक अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव।भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा।

29 मार्च 2025 . आंशिक सूर्य ग्रहण

भारत में पहला सूर्य ग्रहण विक्रम संवत 2081 दिन शनिवार, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। ग्रहण काल . दोपहर 2 बजकर 21 मिनट से 6 बजकर 16 मिनट तक रहेगा। ग्रहण का मध्यकाल . दोपहर 4 बजकर 17 मिनट रहेगा। यह. यूरोप, उत्तरी एशिया, उत्तर.पश्चिम अफ्रीका, आंशिक उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा।

7 सितंबर 2025 . पूर्ण चंद्र ग्रहण

नए साल 2025 में दूसरा चंद्र ग्रहण विक्रम संवत 2082 7 सितंबर दिन रविवार को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन लगेगा और इस ग्रहण के बाद ही पितृपक्ष आरंभ भी हो जाएगे।ग्रहण काल . उपछाया रात 8 बजकर 58 मिनट से अगले दिन यानी 8 सितंबर को 2 बजकर 25 मिनट तक होगी।

आंशिक ग्रहण . रात 9 बजकर 57 मिनट से अगले दिन 1 बजकर 27 मिनट तक होगा। पूर्ण ग्रहण . रात 11 बजकर 1 मिनट से मध्यरात्रि 12 बजकर 23 मिनट तक रहेगा। ग्रहण का मध्यकाल . रात 11 बजकर 42 मिनट तक होगा।

यह. यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, पूर्वी दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी व उत्तरी ध्रुव।

भारत में यह ग्रहण दिखाई देगा इसलिए ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। इस ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर 12 बजकर 55 बजे आरंभ हो जाएगा।

21 सितंबर 2025 . आंशिक सूर्य ग्रहण

नए साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण विक्रम संवत 2082, दिन रविवार को आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। ग्रहण काल . आंशिक ग्रहण रात 11 बजे से अगले दिन यानी 22 सितंबर को सुबह 3 बजकर 24 मिनट तक होगा। ग्रहण का मध्यकाल . 22 सितंबर सुबह 1 बजकर 12 मिनट तक रहेगा।

यह ग्रहण . अमेरिका, समोआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, अटलांटिक महासागर में नजर आयेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा।

वर्ग पहेली-7

बाएं से दाएं

1. विलक्षण बौद्धिक क्षमता (3)
3. जलसा, शुभ आयोजन, सम्मेलन (4)
6. जिसका नाम कोई न जानता हो, अप्रसिद्ध (4)
8. घुटनों तक का बंद गले का कोट (4)
9. आँख, चक्षु (3)
11. बड़ी भट्ठी जिसमें ईंट, चूना आदि पकाते हैं (2)
13. साफ इनकार करना, निराश करना (5)
16. इस के बाद, इस समय (3)
17. प्रयत्न, कोशिश (3)
19. विंध्य पर्वत श्रृंखला का प्रमुख पर्वत (4)
20. नष्ट, विनाश (4)
23. जहां सिक्के ढाले जाते हैं (4)
24. काजल, सुरमा (3)

ऊपर से नीचे

2. एक प्रकार का झींगुर, काक्रोच (4)
3. समान, बराबर (2)
4. स्वीकार किया, मान लिया (2)
5. रोम की भाषा, रोम के निवासी (3)
6. अपराधी (5)
7. आटा (2)
8. निडर (3)
10. अगर, जो (2)
12. कमल के समान मुख, मुख.कमल (5)
14. सर्दियों में ओढ़ने का वस्त्र, लोई (3)
15. कृपा (2)
16. आश्चर्य (4)
17. ईश्वर (2)
18. पाठ, नसीहत (3)
21. शोरबा, रसदार (2)
22. केश, बच्चा (2)

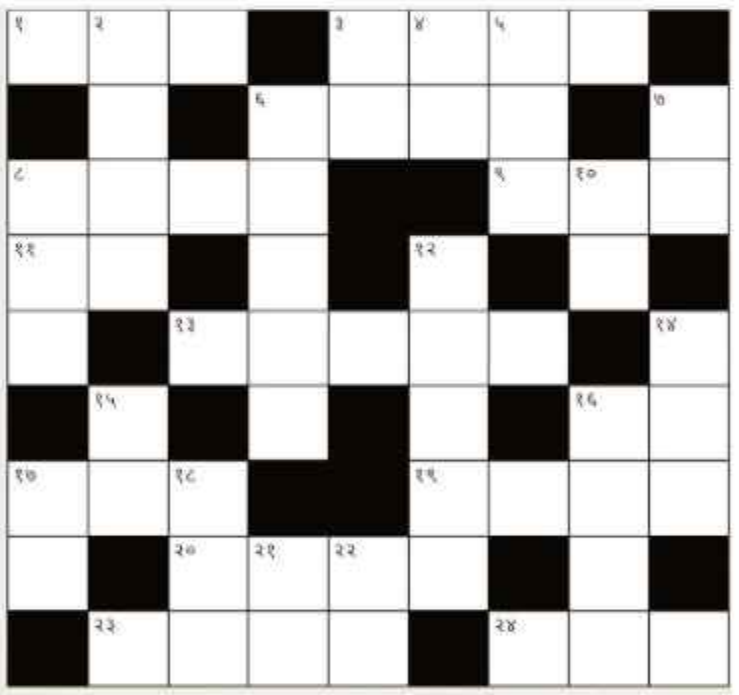

वर्ग पहेली 6 का सही उत्तर

1 वै	भ	2 ब	शा	ली	■	3 चं	■	4 म
■	■	र्ण	■	■	5 सु	द	र्श	न
6 कि	7 सा	न	■	8 म	ग	न	■	हू
■	हू	■	9 अ	■	बु	■	10 बा	स
■	का	■	11 प	तं	गा	■	द	■
12 प	र	■	रं	■	ना	■	शा	■
यो	■	13 क	पा	स	■	14 ब	ह	रा
15 ध	रो	ह	र	■	■	हु	■	■
र	■	न	■	16 अ	व	था	र	णा

काजीरंगा नेशनल पार्क में फिर शुरू हुई हाथी सफारी देशी.विदेशी पर्यटक लेते है सफारी का आनंद

हलधर किसान

असम। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से सीजन 2024.25 के लिए हाथी सफारी फिर से शुरू कर दी गई है। इसके तहत काजीरंगा रेंज, कोहोरा और पश्चिमी रेंज, बागोरी में पर्यटक हाथी पर बैठकर सैर का आनंद ले सकते हैं। हाथी सफारी शुरू होने के बाद नेशनल पार्क की दोनों रेंजों में देशी.विदेशी कई पर्यटकों ने इसका मजा लिया। पर्यटकों को इस सफारी के लिए कई महीने पहले बुकिंग करानी होती है। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में इस पर्यटन सीजन के लिए हाथी सफारी का उद्घाटन किया है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों के पार्क में आगमन की उम्मीद भी जताई है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है।

हाथी सफारी के साथ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने उत्पादों को और विकसित करता है ताकि जिम्मेदार पर्यटन में योगदान दिया जा सके और प्रकृति और संरक्षण के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया जा सके। प्रकृति की गहराई में एक अनूठी यात्रा की तलाश करने वाले किसी भी यात्री की योजनाओं में यह नया रोमांच जोड़ा जा सकता है।काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। इसने पहले पश्चिमी रेंज, बागोरी में सांसदों और राज्य मंत्रियों जैसे मेहमानों की उपस्थिति में उद्घाटन समारोह आयोजित किया था।

मंत्री बोरा ने कहा उद्घाटन के दौरान कई विदेशी पर्यटकों ने भी हाथी की सवारी की। उन्होंने कहा इस बार जीप सफारी के माध्यम से पार्क को अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। मुझे उम्मीद है कि और पर्यटक यहां आएंगे।

उन्होंने आगे बताया कि अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड 28,980 पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया है। पिछले साल की तुलना में में विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। इस अवसर पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर सोनाली घोष और अन्य वरिष्ठ वन अधिकारी मौजूद थे। सोनाली घोष ने बताया कि कोहारा में 10,11 हाथी और बागोरी वन क्षेत्र में 35 हाथियों को हाथी सफारी के लिए लगाया गया।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटक वन्यजीव प्रेमी और पर्यटक अब पार्क के एक.सिंग वाला गेंडा, बाघ, हाथी और विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजातियों को देखने का आनंद ले सकते हैं।

काजीरंगा नेशनल पार्क असम के गोलाघाट और नागांव क्षेत्र में स्थित है। यह असम का सबसे पुराना उद्यान है जो उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और दक्षिण में कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के पास 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि यूनेस्को ने इस नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन और प्रसिद्ध उद्यानों में से एक है जहां आप परिवार और दोस्तों के साथ सैर कर सकते हैं। यूनेस्को ने इस पार्क को विश्व धरोहर साल 1985 में घोषित किया था। यहां गैंडों के अलावा जंगली भैंस, हिरण, हाथी और शेर इत्यादि जानवर भी देखने को मिलते हैं।काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहां स्थित झरने, चाय के बागान, पक्षी और जंगल टूरिस्टों का मन मोह लेते हैं। यह नेशनल पार्क प्रवासी पक्षियों से लेकर दुनियाभर के बहुत सारे लुप्तप्राय प्रजातियों का आश्रय स्थल है। इस राष्ट्रीय उद्यान में हजारों की संख्या में शाकाहारी और मांसाहारी जीव रहते हैं।

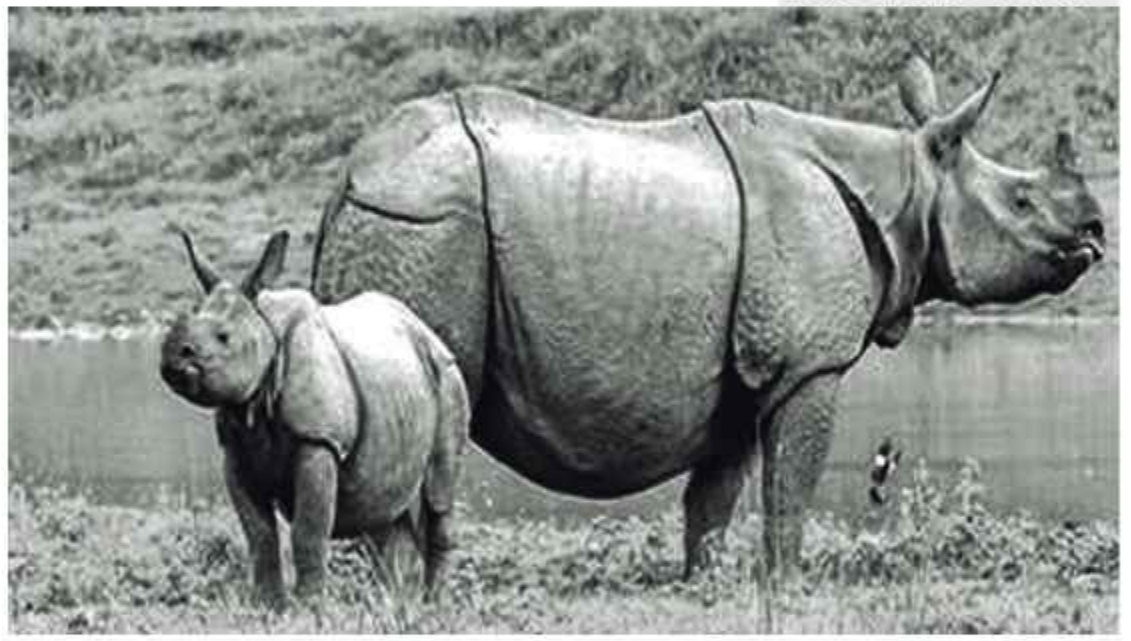

सरकार ने शुरू की फार्मर रजिस्ट्री, रजिस्ट्रीधारक किसान को ही मिलेगा योजनाओं

हलधर किसान रतलाम

मनोज कुमार बोराणा. पीएम किसान समान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों को अब रजिस्ट्री अनिवार्य है। यह प्रक्रिया देशभर में अपनाई जा रही है। दिसंबर के बाद केवल किसान आईडी उपलब्ध होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देश पर किसान रजिस्ट्री के लिए जिले में गांवणगांव में घोषणा की जा रही है कि किसान रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से करवा लें। किसान रजिस्ट्री करवाने के लिए आधार से मोबाइल नंबर लिंक करें, नजदीकी सीएससी केंद्र अथवा गांव के पटवारी के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। व्यक्ति लिंक पर जाकर मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर आधार ओटीपी के माध्यम से स्वयं भी फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं।एसएलआर अकले मालवीय ने बताया कि आगामी समय में फार्मर आईडी अन्य योजनाओं में भी अनिवार्य होगी। फार्मर रजिस्ट्री का उद्देश्य सभी भू-धारियों के आधार लिंक्ड रजिस्ट्री तैयार करना हैए जिसमें भूधारियों को एक अन्य फार्मर आईडी प्रदान किया जाएगा। यह दिसंबर तक चलेगा। पीएम किसान समान निधि योजना सैचुरेशन फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने में सुगमता, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में कृषकों के पंजीयन करने तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बार-बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पोर्टल- फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वयन पोर्टल पर होगा।मोबाइल एप किसानों के लिए और स्थानीय युवाओं के लिए एप उपलब्ध है।

डेटा प्रबंधन -यह रजिस्ट्रेशन प्रदेश के भू.अभिलेख के डेटा के आधार पर किया जाएगा, जिससे हर गांव में किसानों की भूमि की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी।भुगतानः हर फार्मर आईडी बनाने के लिए स्थानीय युवाओं को 10 रुपए दिए जाएंगे और अतिरिक्त खातों के लिए 5 रुपए का भुगतान होगा। किसान फार्मर रजिस्ट्री क्या है किसान फार्मर रजिस्ट्री एक सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य हर किसान की जानकारी एकत्रित करना और उसे एक केंद्रीकृत डेटाबेस में सुरक्षित रखना है।

इसके माध्यम से किसानों की पहचान, उनकी कृषि संबंधी जानकारी और भूमि के मालिकाना हक को सही ढंग से रिकॉर्ड किया जाएगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ दिलाना है।

इससे सरकार को यह जानकारी होगी कि कौन सा किसान कितनी भूमि का मालिक है और उसके पास कितनी सिंचित एवं असिंचित जमीन है। रजिस्ट्रेशन के लाभफार्मर रजिस्ट्री तैयार होने पर आवश्यकतानुसार जिला, तहसील और ग्राम का चयन करके खातों और भूमि स्वामियों की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। ऐप और पोर्टल के माध्यम से किसानों के खातों को लिंक करते हुए ई.केवाईसी की प्रक्रिया भी की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों की फार्मर आईडी प्राथमिकता के आधार पर बनाई जाएगी।

सहकारी क्षेत्र से 2030 तक 11 करोड़ रोजगार के अवसर, रिपोर्टः 5.5 करोड़ नौकरी और 5.5 करोड़ मिल सकेगा स्वरोजगार

हलधर किसान नई दिल्ली। भारत के सहकारी क्षेत्र में 2030 तक प्रत्यक्ष रूप से 5.5 करोड़ नौकरियां और 5.6 करोड़ स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।प्रबंधन परामर्श कंपनी प्राइमस पार्टनर्स ने बृहस्पतिवार को सहकारी क्षेत्र पर जारी रिपोर्ट में कहा कि भारत का सहकारी तंत्र वैश्विक स्तर पर 30 लाख सहकारी समितियों में से करीब 30 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।रिपोर्ट में कहा गया भारत 2030 तक 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ऐसे में सहकारी क्षेत्र आशा तथा क्षमता की किरण बना हुआ है। इसमें कहा गया विश्व स्तर पर सबसे बड़े सहकारी तंत्रों में से एक के साथ भारत आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समानता तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र की अपार क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के अनुसार भविष्य की ओर देखते हुए सहकारी समितियों में 2030 तक 5.5 करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार और 5.6 करोड़ स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने की क्षमता है, जिससे रोजगार सृजनकर्ता के रूप में उनकी भूमिका और बढ़ जाएगी।ष्इसमें कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद पर उनका प्रभाव भी उतना ही प्रभावशाली है। इनका 2030 तक संभावित योगदान तीन से पांच प्रतिशत तक हो सकता है। प्रत्यक्ष तथा स्वरोजगार दोनों की बात करें तो यह 10 प्रतिशत से अधिक हो सकता है।

उर्वरक वितरण और विक्रय से जुड़ी गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई की जाए : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

हलधर किसान

-कालाबाजारियों और अवैध भंडारण करने वालों के विरूद्ध दर्ज हुए 71 प्रकरण

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने विदेश यात्रा से लौटते ही समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में उर्वरकों के वितरण की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में पूर्व वर्ष में 470 उर्वरक विक्रय केन्द्र थे। वर्तमान में प्रदेश में 761 विक्रय केन्द्र और काउंटर्स द्वारा वितरण का कार्य किया जा रहा है। विपणन संघ, मार्केटिंग सोसायटी और एमपी एग्रो द्वारा केन्द्रों का सुचारू संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्गत 1 हजार से अधिक नमूने विश्लेषित किए गए। साथ ही 45 लायसेंस निलंबित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। जिन स्थानों से वितरण संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। वितरण केन्द्रों की संख्या बढ़ाना आवश्यक हो, उन स्थानों पर अविलंब ऐसे प्रबंध किए जाएं। किसानों को कोदो.कुटकी के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में उर्वरकों के अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और कालाबाजारी के 71 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है। मध्यप्रदेश को किसानों की जरूरत के मान से केन्द्र द्वारा भी निरंतर उर्वरक प्रदाय किए जा रहे है। सोशल मीडिया पर और अन्य जनमाध्यमों से उर्वरक वितरण की शिकायतें प्राप्त होने पर सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के अधिकारी अविलंब संज्ञान लें और शिकायतों को दूर करें। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में गत वर्ष से अधिक मात्रा में उर्वरक वितरण हो चुका है। फसलों की बोवनी लगभग दो तिहाई क्षेत्र में हो चुकी है। प्रदेश में 28 नवम्बर 2024 तक 32.44 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। इनमें 21.34 लाख मीट्रिक टन का विक्रय हो चुका है और 11.10 लाख मीट्रिक टन उर्वरक शेष है। दिसम्बर माह में इनकी उपलब्धता लगभग 20 लाख मीट्रिक टन रहेगी।

उर्वरक मंत्री एवं रेल मंत्री से करेंगे आग्रह

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों को वितरण के लिए निरंतर और नियमित रूप से आवश्यक उर्वरक प्राप्त हो रहे है। भविष्य में भी यह व्यवस्था सुचारू रहेए इस उद्देश्य से वे केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह करेंगे। वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न जिलों के लिए रेल से 11 रैक पाईंट के लिए यूरिया का प्रदाय हो रहा है। आगामी सप्ताह यूरिया सहित डीएपी, एनपीके और टीएसपी के रैक टीकमगढ़, निवाड़ी, रीवा, कछपुरा, झूकेही, शहडोल, इटारसी, गुना, अशोकनगर, मेघनगर, खंडवा, शाजापुर, मंडीदीप, खंडवा, ब्यावरा, शिवपुरी, डबरा, बैतूल आदि के लिए आएंगे। दिसम्बर महीने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। केन्द्र सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है।

दोषियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण एवं जिलों में हुए नवाचार

किसानों के हित में उर्वरक व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। दोषियों के विरूद्ध गत 7 दिवस में 11 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इस सीजन में कुल 71 एफआईआर दर्ज हुई है। इनमें प्रदेश में उर्वरक के अवैध भंडारण पर 27, अवैध विक्रय पर 17, कालाबाजारी पर 10, अवैध परिवहन पर 7, अमानक उर्वरक पर 5, पीओएस मशीन से विक्रय नहीं करने पर 3 और नकली उर्वरक के विक्रय पर 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। प्रदेश भर में यह कार्यवाही निरंतर चल रही है। प्रदेश के कुछ जिलों में किसानों के हित में बेहतर वितरण व्यवस्था से संबंधित नवाचार किए गए हैं। विदिशा जिले के कुरवई में खाद और बीज दुकानों की जाँच कर सैम्पल लिए गए। जबलपुर में कालाबाजारी की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की गई। किसानों को फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल का परामर्श भी दिया गया। छतरपुर जिले में अवैध भंडारण पर एफआईआर कर दोषी व्यापारियों पर केस दर्ज किए गए। आगर.मालवा, बैतूल, देवास, बालाघाट, बुरहानपुर, झाबुआ, शिवपुरी, मंदसौर, श्योपुर, हरदा और खंडवा जिलों में भी सख्त कार्रवाई कर अवैध व्यापार करने वालों को दंडित किया गया है।

नवाचारों में टीकमगढ़ में काउंटर संख्या बढ़ाकर वितरण व्यवस्था को आसान बनाया गया। छिंदवाड़ा में रबी फसल की तैयारी के लिए किसानों के लिए मार्गदर्शी कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

यह दिए निर्देश

प्रदेश में जहां रेल के रैक आने में विलंब होए वहां सड़क मार्ग से परिवहन कर उर्वरक पहुंचाएं।

. केन्द्रों की संख्या अधिक से अधिक हो। आवश्यकता हो तो किराए की दुकान लेकर भी वितरण कार्य किया जाए।

.सोशल मीडिया पर और अन्य जन.माध्यमों से उर्वरक वितरण की शिकायतें प्राप्त होने पर सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के अधिकारी अविलंब संज्ञान लें और शिकायतों को दूर करें।

.कृषि प्रदर्शनी और आधुनिक तकनीक से जुड़े यंत्रों का प्रदर्शन किसानों के समक्ष किया जाएगा।

.फसल चक्र में बदलाव को प्रोत्साहित किया जाए।

.कोदो.कुटकी उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाए।

.प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जाए।

.किसानों से उपार्जित खाद्यान्न के लिए भुगतान में विलंब न हो।

.भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों और जन.प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया जाए।

.कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग को भी प्रोत्साहित किया जाए।

. किसानों के हित में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

.आगामी ग्रीष्म काल में मक्का उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया जाए।

खेतों में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध, लगेगा जुर्माना

खरगोन। फसल कटाई के बाद अगली फसल के लिए खेत तैयार करने के दौरान किसानों द्वारा अपनी सुविधा के लिए खेत में आग लगाकर फसल कटने के उपरांत बचे अवशेष जलाकर खेत साफ किया जाता है। इससे अग्नि दुर्घटना होने एवं पर्यावरण के प्रदूषित होने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने मध्यप्रदेश वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत सम्पूर्ण खरगोन जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 02 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

नरवाई जलाने पर किसानों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। 02 एकड़ तक के कृषकों को नरवाई जलाने के प्रति घटना पर 2500 रुपये, 02.05 एकड़ तक के कृषकों को 05 हजार प्रति घटना एवं 05 एकड़ से बड़े कृषकों को 15 हजार रुपये प्रति घटना जुर्माना देना पड़ेगा। किसानों से कहा गया है कि खेतों में नरवाई न जलाएं। इससे प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव.जंतु नष्ट हो जाते हैं और इससे व्यापक पारिस्थितिकी नुकसान होता है। नरवाई जलाने से मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और इससे खेत की उर्वरा शक्ति घटने लगती है। खेत में पड़ा कचरा, भूसा, ठण्ठल, सड़ने के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं। इन्हें जलाकर नष्ट करने से प्राकृतिक खाद नष्ट हो जाता है। नरवाई जलाने से हानिकारक गैसों का सृजन होता है और इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व घोषित, प्रदेश का आठवां टाइगर रिजर्व होगा शिवपुरी जिला

हलधर किसान (वन) भोपाल। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की तकनीकी समिति ने मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह मध्यप्रदेश का आठवां बाघ अभयारण्य होगा। कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच, संजय दुबरी, पन्ना और वीरांगना दुर्गावती राज्य में मौजूदा बाघ अभयारण्य है।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव एल कृष्णमूर्ति ने को बताया एनटीसीए की तकनीकी समिति ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,751 वर्ग किलोमीटर होगा, जिसमें 375 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र और 1,276 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र शामिल है। समिति ने पार्क में एक बाघ और एक बाघिन को छोड़ने को भी मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। कृष्णमूर्ति ने कहा, मध्यप्रदेश सरकार की यह संरक्षण पहल माधव राष्ट्रीय उद्यान और कुनो राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन को मजबूत करेगी। इससे स्थानीय समुदायों को इकोटूरिज्म का लाभ मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा

कुनो राष्ट्रीय उद्यान देश में चीतों का एकमात्र निवास स्थान है। यह श्योपुर जिले में स्थित है और माधव राष्ट्रीय उद्यान के करीब है। एनटीसीए और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी बाघों की स्थिति- भारत में शिकारी और शिकार.2022 रिपोर्ट के अनुसार, मध्यप्रदेश में बाघों की आबादी 785 होने का अनुमान है, जो देश में सबसे अधिक है। इसके बाद कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560 बाघ हैं।

दुग्ध उत्पादन में अग्रणी मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र
हलधर किसान

भोपाल। दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल है। यहां दुग्ध उत्पादक किसान न केवल बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन कर रहे हैं, अपितु दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के विक्रय से अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। भारत का नौ प्रतिशत दुग्ध उत्पादन मध्यप्रदेश में होता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संकल्प है कि प्रदेश का दुग्ध उत्पादन, देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 2 प्रतिशत तक पहुंचे। मध्यप्रदेश दुग्ध संघ का सांची ब्रांड वाजिब दामों में उच्च गुणवत्ता युक्त नए.नए दुग्ध एवं अन्य उत्पाद बाजार में ला रहा है, जिससे सदस्य किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है। प्रदेश में कृषि को लाभ का धंधा बनाने में दुग्ध उत्पादन का भी महत्वपूर्ण स्थान है।

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल ने बताया कि भारत में दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश का तीसरा स्थान है। प्रदेश में 591 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दूध का उत्पादन होता है। मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 644 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 459 ग्राम प्रतिदिन का है। प्रदेश में 7.5 प्रतिशत पशुधन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 5.05 प्रतिशत का है। वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में गौ.वंश पशु संख्या देश में तीसरे स्थान पर 187.50 लाख है, वहीं भैंस वंश पशु संख्या चौथे स्थान पर 103.5 लाख है। प्रदेश में पशुओं के उपचार के लिए चलित पशु चिकित्सा वाहन (1962) संचालित है, जो कि स्थान पर जाकर पशुओं का इलाज करते हैं।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश देश में अव्वल है। प्रदेश ने 240.47 लाख गौवंशी एवं भैंस पशुओं का टीकाकरण कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से गायों के नस्ल सुधार कार्यक्रम में प्रदेश में अच्छा कार्य हो रहा है। पशुपालकों से मात्र 100 रुपए के शुल्क पर गायों का नस्ल सुधार किया जाता है। इससे पशुपालकों को अच्छी आय प्राप्त हो रही है। प्रदेश में कृषि कार्य के साथ ही पशुपालन, किसानों की आय बढ़ाने का बड़ा जरिया बन गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से भी प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए करारनामा हुआ है। किसानों और पशुपालकों को प्रोत्साहन के लिए दुग्ध उत्पादन पर बोनस दिया जायेगा। देशी गाय और अच्छी नस्ल के देशी नंदी के पालन के लिए मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना में भी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। किसानों को गौ.पालन और सौर संयंत्रों के प्रयोग पर सरकार प्रोत्साहन दे रही है। प्रदेश में भारतीय नव वर्ष चैत्र माह से अगले वर्ष तक गौ.संरक्षण और संवर्धन वर्ष मनाया जा रहा है। पशुपालकों एवं गौ.संवर्धन के विकास व संरक्षण के लिए वर्ष 2024.25 के लिए 590 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इस वर्ष मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भोपाल के बरखेड़ी डोब क्षेत्र में 10 हजार गौ.वंश क्षमता वाली हाइटेक गौ.शाला बनाई जा रही है, जिसका हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा भूमि.पूजन किया गया।

प्रदेश में बड़ी संख्या में गौ.शालाएं बनाई जा रही हैं और चरनोई की भूमि से अतिक्रमण हटाए जा रहे है। प्रदेश में संचालित 2500 गौ.शालाओं में 4 लाख से अधिक गौ.वंश का पालन किया जा रहा है। प्रदेश में गौ.वंश के बेहतर आहार के लिये प्रति गौ.वंश मिलने वाली 20 रुपये की राशि बढ़ाकर 40 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। मार्गों पर दुर्घटना में घायल गायों के लिये हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहन की व्यवस्था की गई है। ग्वालियर स्थित आदर्श गौ.शाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट की स्थापना की गई है। दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने प्रदेश के हर ब्लॉक में एक गांव वृंदावन गांव बनाया जा रहा है। प्रदेश में मई 2023 से प्रारंभ 406 चलित पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा अब तक 5 लाख 46 हजार से अधिक पशुओं को घर पहुंच चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

नई नस्ल की गाय.भैंस हो रहीं तैयार, दोगुना देंगी दूध

हलधर किसान मेरठ। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान नई नस्ल की गाय और भैंस तैयार कर रहा है। जो आज की नस्ल के पशुओं से दोगुना दूध देंगी। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान में एनिमल फिजियोलॉजिस्ट ऑफइंडिया सोसायटी के तत्वावधान में शुरू हुए तीन दिवसीय 32वें वार्षिक सम्मेलन और संगोष्ठी में डॉ. एके मोहंती ने यह बात कही। उन्होंने चूहे, छिपकली, मछली, बकरी, भैंस, ऊंट, गोवंश आदि सभी जीव जंतुओं पर किए गए शोध पर मिली उपलब्धियां और भविष्य की उम्मीदें बताई।

केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान के निदेशक मोहंती ने कहा कि पशुधन उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के कल्याण के लिए ओमिक्स प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी भूमिका है। देश के संस्थानों में गाय और भैंस पर शोध किए जा रहे हैं। डॉ. बीएस प्रकाश ने शारीरिक विज्ञान और ओमिक्स के एकीकरण की मौजूदा चुनौतियों के समाधान पर सुझाव रखे। डॉ.सुनील कुमार ने समग्र विकास के लिए पशु विज्ञान को प्राकृतिक खेती प्रथाओं के साथ जोड़ने पर जोर दिया। डा. एम एल मदान ने युवा शोधकर्ताओं को प्रेरित करते हुए उन्हें केंद्रित रहने, चुनौतियों को स्वीकार करने और समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व उपमहानिदेशक एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विवि मथुरा के पूर्व कुलपति पद्मश्री डॉ. मोतीलाल मदान ने कहा कि पहले गाय 14 माह में केवल एक बच्चा देती थी, लेकिन अब नई तकनीक से एक गाय और भैंस के अंडों से 10.10 बच्चे पैदा हो रहे हैं। वह भी अच्छी नस्ल के अधिक दूध देने वाले बच्चे। हालांकि गाय से पैदा हो रहे बैल यानी सांड की उपयोगिता को लेकर सरकारी स्तर पर काम किए जाने की जरूरत है। छावनी क्षेत्र स्थित केन्द्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान में डॉ.मोतीलाल मदान ने कहा कि देश के अनुसंधान संस्थानों में नई तकनीक से बड़ा कार्य चल रहा है। इसका लाभ किसानों की आय और उत्पादन पर भी दिखेगा। देश के संस्थानों में गाय और सांड को उन्नत बनाने का काम चल रहा है, ताकि देश में दूध की भी कमी न रहे। उन्होंने कहा कि हमारे देश के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में विश्व का पहला ऐसा शोध हुआ, जिसमें परखनली के माध्यम से भैंस के गर्भ में अंडा प्रत्यारोपित करके बच्चा पैदा किया गया। भैंस का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में बड़ा योगदान है। इस दृष्टि से हमने भैंस की उन्नत किस्म में शोध किया। डा. मदान ने कहा कि गोवंश हो या फिर भैंस। इनको कमरे में बंद करके नहीं रखा जा सकता है। यह न जानवर के लिए ठीक है और न अर्थव्यवस्था के लिए। किसानों को जानवरों से भरपूर प्यार करना चाहिए। कुछ पशुपालक अधूरा प्यार करते हैं। जब तक पशु दूध देता है, उनकी आय का साधन बनता है तो प्यार करते हैं अन्यथा बाद में बेसहारा छोड़ देते हैं।

एजेंसी देना है-

प्रतिष्ठित मासिक समाचार पत्र हलधर किसान कृषि क्षेत्र से जुड़े शोध, अनुसंधान, नई तकनिक, योजनाओं के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के समावेश के साथ नियमित रुप से प्रकाशित हो रहा है। अखबार की प्रतियां नियमित रुप से प्राप्त करने के लिए वार्षिक सदस्यता लेने, एजेंसी/ विज्ञापन प्रकाशन के लिए हमारे वाट्सअप नंबर(88174 02860) या हमारे प्रधान कार्यालय 598, वेगॉस मॉल, कार्पोरेट बिल्डिंग, एस.14 द्वारका साउथ वेस्ट, नई दिल्ली 110075 या मप्र में 762, बीज भंडार भवन, न्यू नूतन नगर खरगोन में संपर्क कर सकते है।

नोटः कृषि, उद्यानिकी, मछली पालन, ऊर्जा, पर्यावरण जैसे विषयों पर लिखे लेख प्रकाशन के लिए भी वाट्सअप नंबर पर भेज सकते है। आपके द्वारा भेजे गए लेख, शोधकार्य या कृषि के क्षेत्र में नई तकनिकी, सफलता हासिल करने संबंधित समाचार को भी प्रमुखता से प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे।

8 महिने भारत ने 450 मिलियन डॉलर मूल्य के जैविक खाद्य उत्पादों का किया निर्यात

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2024.25 के पहले आठ महीनों में 447.73 मिलियन डॉलर के जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात किया है।

पिछले पूरे वित्त वर्ष में देश ने 494.80 मिलियन डॉलर के जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात किया गया था। इस कारण उम्मीद लगाई जा रही है कि चालू वित्त वर्ष में जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात पिछले साल के आंकड़े को पार कर लेगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 25 नवंबर तक जैविक खाद्य उत्पाद निर्यात की कुल मात्रा 263,050 मीट्रिक टन तक पहुंच गई।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि वित्त वर्ष 24 में जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात 494.80 मिलियन डॉलर था।

मंत्रालय ने जैविक उत्पादों के उत्पादन के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई

बीते सालों में कैसा रहा जैविक उत्पादों का निर्यात

2019 से 20 में 6,38,998 टन जैविक उत्पादों का निर्यात हुआए जिसकी कीमत 689.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी।

.2020 से 21 में 8,88,179 टन जैविक उत्पादों का निर्यात हुआ, जिसकी कीमत 1,040 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी।

.2021.22 में 4,60,320.40 टन जैविक उत्पादों का निर्यात हुआ, जिसका मूल्य 771.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

.2022.23 में 3,12,800.51 टन उत्पादों का निर्यात हुआ, जो 708.33 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

.2023.24 में अब तक 2,61,029 टन उत्पादों का निर्यात हुआ, जिसका मूल्य 494.80 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

विशिष्ट निधि आवंटित नहीं की है। हालांकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जैविक खाद्य उत्पादों के निर्यातकों सहित अपने सदस्य निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एपीडा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम लागू कर रहा है। इस प्रोग्राम में प्रमाणन निकायों की मान्यता, जैविक उत्पादन के लिए मानक, जैविक खेती और विपणन को बढ़ावा देना आदि शामिल है।

भारत में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक प्रमाणित प्रसंस्करण इकाइयों की कुल संख्या 1,016 है।

सितंबर में एपीडा ने ग्लोबल रिटेल चेन लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की घोषणा की। इसके तहत वह संयुक्त अरब अमीरात में अपने स्टोरों में प्रमाणित भारतीय जैविक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करेगा।

एपीडा भारत में किसान उत्पादक संगठनों किसान उत्पादक कंपनियों, सहकारी समितियों और लुलु समूह सहित जैविक उत्पादकों के बीच कनेक्शन की सुविधा प्रदान करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय जैविक उत्पाद व्यापक वैश्विक लोगों तक पहुंचें।

यह अथॉरिटी भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। एजेंसी विभिन्न देशों में बी2बी प्रदर्शनियां आयोजित करनेए नए संभावित बाजारों की खोज करने और प्राकृतिकए जैविक और भौगोलिक संकेत .टैग किए गए कृषि.उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर काम करती है।

428 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे में हुई बुआई गेहूं, दलहन के साथ मोटा अनाज का बढ़ा रकबा

नई दिल्ली। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने रबी फसलों की बुवाई कवरेज की प्रगति रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार रबी सीजन की फसलों की बुवाई में तेजी देखी गई है। डीएपी व खाद संकट के बावजूद अब तक 428 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई पूरी हो चुकी है। पिछले साल इस अवधि तक 411.80 लाख हेक्टेयर ही बुवाई हुई थी।

आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार गेहूं की बुवाई में तेजी देखने को मिली है। दाल की बुवाई का आंकड़ा भी राहत देने वाला है। हालांकि, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद तिलहनी फसलों की बुवाई की गति धीमी हो गई है। विभाग के अनुसार पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान गेहूं की 187.97 लाख हेक्टेयर बुवाई हुई थी। इस बार ये लगभग 200.35 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इस समय तक 105.14 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलों की बुवाई हुई थी, जो इस बार बढ़कर 108.95 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। मोटे अनाज की अब तक 29.24 लाख हेक्टेयर बुवाई हो चुकी है। पिछले साल अब तक 24.67 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। तिलहनी फसलों, रेपसीड और सरसों की बात करें तो पिछले साल इस समय तक 84.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हो चुकी थी, जो इस बार कम होकर 80.55 लाख हेक्टेयर रह गई है।

सर्वे : शहरों के मुकाबले गावों में हो रहें ज्यादा कर्जदार

हलधर किसान,

नई दिल्ली (ग्रामीण)। वर्ष 2022.23 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों को आधार बनाकर पिछले दिनों साख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण रिपोर्ट एक बार फिर शहरों की तुलना में गांवों में कर्ज के बढ़े भार के बारे में बताती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, गांवों में प्रति एक लाख लोगों में 18,714 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने कर्ज ले रखा है, जबकि शहरों में गांवों से कुछ कम 17,442 लोग कर्जदार हैं।

आमतौर पर यह माना जाता है कि शहरों में लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण लोगों में कर्ज लेकर खर्च चलाने का चलन बढ़ रहा है, लेकिन सरकार के सर्वेक्षण में चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया है कि कर्ज लेने में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कहीं ज्यादा आगे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में गांवों में कर्ज लेने वालों की संख्या ज्यादा है। यह ट्रेंड पुरुषों और महिलाएं दोनों में ज्यादा देखा गया है। उदाहरण के लिए एक लाख ग्रामीण पुरुषों में से 24,322 ने कोई न कोई कर्ज ले रखा है। सर्वेक्षण की तारीख पर उन पर कर्ज की राशि बकाया थी। जबकि, शहरी क्षेत्रों में 23,975 पुरुषों पर कर्ज था।

इसी प्रकार अगर महिलाओं की बात करें तो गांवों में एक लाख महिलाओं पर 13,016 महिलाएं कर्ज में डूबी थीं। जबकि शहरों में यह अपेक्षाकृत कम 10,584 महिलाएं कर्जदार पाई गई।

गांवों में होड़ कहीं ज्यादा होने लगी

विशेषज्ञों का मानना है कि गांवों में भी शहरों के जीवन का अनुसरण किया जा रहा है। चाहे घरेलू जरूरतें हों या बच्चों की शिक्षा या फिर खान.पान या पहनावा, अब काफी हद तक शहरों की तर्ज पर होने लगा है। देखा जाए तो गांवों में यह होड़ कहीं ज्यादा है।

ग्रामीणों को कर्ज की उपलब्धता आसान

इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी कई सेवाएं निःशुल्क मिल जाती हैं, जबकि गांवों में इसके लिए भी भुगतान की जाने वाली सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। नतीजा यह है कि गांव के लोगों को आज कहीं ज्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके अलावा घर के लोगों के शहरों में कार्यरत होने से ग्रामीणों को कर्ज की उपलब्धता आसान हुई है।

पंजाब में 60 फीसदी महिलाएं कर्जदार

किसानों की आत्महत्या, खेती की लागत में बढ़ोतरी और कर्ज का नकारात्मक प्रभाव पंजाब की ग्रामीण महिलाओं पर पड़ा है। पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला के अर्थशास्त्र विभाग के ताजा अध्ययन में यह बात सामने आई है। अध्ययन में शामिल 60 फीसदी महिलाओं पर कर्ज है। वहीं, 53 प्रतिशत महिलाओं ने किसी न किसी तरह की हिंसा का सामना किया। इस अध्ययन में 711 महिलाओं को शामिल किया गया था। ये सभी महिलाएं पंजाब के संगरूर, मानसा और बठिंडा जिलों से थीं। अध्ययनकर्ताओं ने इन जिलों को किसानों की आत्महत्या के हॉटस्पॉट के रूप में पाया था।

इन महिलाओं में से 74 प्रतिशत महिलाएं विवाहित थीं, 23 प्रतिशत विधवा, 1 प्रतिशत अविवाहित और 2 प्रतिशत तलाकशुदा या अलग हुई थीं। इस अध्ययन में पाया गया है कि महिलाओं के कर्ज लेने का उद्देश्य भी काफी अलग है। जैसे . विवाहित महिलाएं मुख्य रूप से कृषि और संपत्ति निर्माण के लिए कर्ज लेती थीं, जबकि विधवा और अलग हुई महिलाएं स्वास्थ्य खर्चों, दैनिक आवश्यकताओं या बच्चों की शादियों के लिए कर्ज ले रही थीं। कृषि के लिए कर्ज की औसत राशि विवाहित महिलाओं के लिए 4.54 लाख रुपये, अलग हुई महिलाओं के लिए 3.5 लाख रुपये और विधवाओं के लिए 6.28 लाख रुपये थी। इस मामले में विधवा महिलाओ पर कर्ज काफी अधिक था।

क्यों कर्ज ले रही हैं महिलाएं

अध्यान के अनुसार, 30 प्रतिशत महिलाएं कृषि के लिए कर्ज ले रही हैं, जबकि 18 प्रतिशत घरेलू खर्चों के लिएए 14 प्रतिशत शादियों के लिए और 10 प्रतिशत स्वास्थ्य खर्चों के लिए कर्ज ले रही हैं।अध्ययन के नतीजों के अनुसार, पंजाब के मानसा जिले में 66 प्रतिशत महिलाएं, बठिंडा में 60 प्रतिशत और संगरूर में 54 प्रतिशत महिलाओं पर कर्ज है। यह कर्ज लाखों रुपये में है। संगरूर से आने वाले परिवारों पर औसतन 3.8 लाख रुपयेए मानसा में 3.75 लाख रुपये और बठिंडा में 3.5 लाख रुपये का कर्ज है। वहींए जाति के हिसाब से देखें तो सामान्य वर्ग वालों पर औसतन 4.91 लाख रुपये का कर्ज था। वहीं, अनुसूचित जाति के 59 प्रतिशत लोगों का औसत कर्ज 1.17 लाख रुपये था। ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग के 48 प्रतिशत लोगों पर औसतन 1.6 लाख रुपये का कर्ज था।

महिलाओं का संघर्ष

अध्ययन में सामने आया है कि ज्यादातर महिलाएं पशुपालन या कृषि से संबंधित श्रमिक के रूप में काम कर रही हैं। कई विधवा महिलाएं अपने मृत पति के कर्ज का बोझ उठाती हैं, जो कई कठिनाइयों का सामना कर रही हैं और परिवार के भरण.पोषण के लिए संघर्ष करती हैं। अध्ययन में 53 प्रतिशत महिलाओं ने किसी न किसी रूप में हिंसा का सामना किया है, जिसमें शारीरिक, मौखिक और मानसिक अत्याचार शामिल हैं। घरेलू हिंसा सबसे सामान्य रूप है, और मानसा जिले में इसकी घटनाएं सबसे अधिक पाई गईं। शराब पीने की आदत अक्सर हिंसा का कारण बनी है।

किसानों की आत्महत्या

अध्ययन के दौरान 31 परिवारों ने बताया कि उनके परिवार के किसी सदस्य ने आत्महत्या की है, जिनमें से 87 प्रतिशत परिवारों को सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिला। इसके अलावा, कर्ज के बोझ तले दबे परिवारों को सरकारी मदद में बहुत बाधाएं आ रही हैं। कुल मिलाकर पंजाब के कृषि संकट के कारण प्रदेश की महिलाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह प्रभाव आर्थिक से लेकर सामाजिक दायरों में देखने को मिलता है।

बीज कानून पाठशालाः उपभोक्ता मामलों में बीज उत्पादक बरते सावधानियां...

हलधर किसान

इंदौर। बीज कानून रत्न से सम्मानित हरियाणा निवासी आरबी सिंह हलधर किसान के पाठको के लिए बीज कानून से जुड़ी बारीकियों से अपने बीज कानूनी ज्ञान की जानकारियां नियमित रुप से साझा कर रहे है। उन्हीं के माध्यम से इस अंक में "उपभोक्ता मामलों में बीज उत्पादक बरते सावधानियां..."विषय को लेकर जानकारी साझा की जा रही है-

बीज कानून पाठशाला

श्री सिंह की कलम से. बीज धरा का गहना है। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में अन्य कारकों के साथ बीज मुख्य कारक है। अतः खाद्य समृद्धि के लिए चीज का उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम एवं चरित्रवान होना आवश्यक है। बीज कानूनों जैसे बीज अधिनियम 1966, बीज नियम.1968, बीज नियन्त्रण आदेश.1983 तथा अन्य, बीज गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने वाले बीज उत्पादक, बीज विक्रेता को कठोरत्तम दण्ड देता है, परन्तु बीज का निम्न गुणवत्ता के कारण हुई फसल क्षति पूर्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है। लोक सभा में प्रस्तावति बीज विधेयक (सीड बिल 2019) में कृषक क्षतिपूर्ति का स्पष्ट प्रावधान किया गया है परन्तु नये बीज अधिनियम के अन्तर्गत उपजे क्षति पूर्ति के विवादों का निपटारा भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार ही होगा।

बीज उद्योग में आपस में गला काट प्रतियोगिता के कारण कोई बीज उत्पादक किसानों में अपनी शाख को दांव पर नहीं लगाऐगा। अतः बीज उत्पादन करते हुए बीज उद्यमी भारत सरकार द्वारा पारित भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों की पालना करता है, अपने अनुसन्धान की पहचान के लिए निदशेलय उद्योग एवं विज्ञान अनुसंधान से मान्यता लेता है। कृषि विभाग से बीज विक्रय हेतु लाइसैंस लेता है कहने का अर्थ है कि सभी सावधानियों, नियम, कानूनों की पालना कर बीज उत्पादन एवं प्रामणीकरण कर बीज बीज कृषकों को उपलब्ध करवाता है परन्तु बीज उत्पादन में कुछ ऐसे कारक हैं जो बीज उत्पादकों के बश से परे है। इसके अलावा बीज उत्पादक अपने भरसक प्रयासों से उत्तम किस्म का बीज, उच्च गुणवत्ता अंकुरण, भौतिक शुद्धताए अनुवांशिक शुद्धता के साथ उपलबध करवाता है और फिर कृषक की जिम्मेदारी बनी है कि वह नवीनतम तकनीकि का उपयोग कर राज्य/ राष्ट्र में उत्पादन स्तम्भ बनाए परन्तु कृषक नयी तकनीकियों को शीघ्र न अपना पाने के कारण कृषक उत्पादक . गठबन्धन दरक जाता है और वह बीज की गुणवत्ता के विरूद्ध विवाद का कारण बनता है।

मानव प्रवृति है कि उसे निःशुल्क ज्ञान दिया जाए तो वह उसका महत्त्व नहीं समझता। बीज उद्योग में भी हू.ब.हू यही हो रहा है। मैं समय.समय पर बीज उद्यमियों को बीज कानूनों की विधाओं पर लेखों द्वारा सचेत करता हूँ। बीज कानून की 4 पुस्तकें सम्पादित करवाई और बांटी परन्तु उनसे अपना बीज कानुन ज्ञान नहीं बढ़ाया। कृषक विभाग द्वारा आपत्ति उठाने और उसके प्रति बीज और उपभोक्ता संरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मैं कुछ लेख लिख रहा हूँ जिसकी चौथी कड़ी प्रस्तुत है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर एक पुस्तक भी सम्पादित कर रहा हूँ जिसमें विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णित बीज के मामलों का उल्लेख होगा ताकि सचेत व्यक्ति रूलिंग से संदर्भ लेकर अपने वकील के ज्ञान में वृद्धि कर अपना केस न्यायालय में दृढ़ता से प्रस्तुत कर सके। मैं इस कड़ी में कुछ विषयों की सूचना देना चाहता हूँ जिनसे बीज उत्पादक सावधानी अपना कर अपने वाद की पैरवी दृढ़ता से कर सकते हैं-

1. कृषक के वकील के नोटिस का उत्तर न देना-. बीज के कारण कृषक की फसल क्षति होने पर वह न्यायालय में वाद दायर करने से पूर्व अपने वकील से नोटिस दिलवाता है। कई बार कृषि विभाग बीज अधोस्तर होने पर नोटिस जारी करता है। बीज व्यापारी उसका उत्तर नहीं देते हैं। बीज व्यापारियों को वकील के नोटिस का अपने वकील या किसी माहिर व्यक्ति से यथोचित उत्तर दिलवाना चाहिए। ध्यान रहे कि उपभोक्ता न्यायालय में दी जाने वाली अपनी पुष्ठ दलीलों के पत्ते नहीं खोलने चाहिए। वकील के नोटिस का जवाब न देना भी सेवा में कमी माना जाता है जो नकारात्मक पहलु प्रदर्शित करता है।

बिल न देना-

बीज विक्रेताओं के दिल दिमाग में यह बात घर कर गई है कि बीज या किसी कृषि आदान का बिल न देने से कन्ज्यूमर कोर्ट में विवाद दायर नहीं होता। इसीलिये बीज विक्रेता बिल जारी नहीं करते या एस्टीमेट या पैड पर बीज बिल के रूप में पर्ची कृषक को पकड़ा देते हैं। कभी.कभी बीज विक्रेता अपने विजिटिंग कार्ड पर बीज का विवरण लिख देते हैं। यह प्रथा गलत है और कोई बचाव नहीं कर पाती क्योंकि जो बीज का रैपर, थैला है उस पर बीज उत्पादक कम्पनी का नाम, पता लिखा है, लेबल नम्बर लिखा है, उसके माध्यम से विक्रेता पकड में आ जायेगा। ***वेद प्रकाश गोपालदास बनाम देवीलाल मंडी डबवाली की शिकायत में सिरसा उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय ने फर्म का बिल न होने पर भी देवीलाल की शिकायत स्वीकार की और विक्रेता पर रुपये 45,760.00 की क्षति पूर्ति का आदेश पारित किया। अपील संख्या 481/2005 का 07.09.2020 में राज्य आयोग ने निर्णय देते हुए जिला फोरम का आदेश ही मान्य किया।***

3. **लॉट नम्बर लिखना -** .बीज विक्रेताओं को पक्का बिल देने में आना.कानी नहीं करनी चाहिए बल्कि बिल में कृषक का पूरा नाम, पिता का नाम, गौत्र, गाँव, तहसील, जिला, बीज की फसल, किस्म, वर्ग एवं लॉट नम्बर पुरा लिखें। बिल पर वैद्यता अवधि न लिखें। संज्ञान में आया है कि बीज उत्पादक कम्पनियां अपना बीज विक्रेताओं के पास पूरे लॉट नम्बर और लेबल नम्बर लिखकर भेजती है परन्तु बीज विक्रेता ग्राहकों की बिक्री की अधिकता का बहाना बना कर मात्र शक्तिवर्धक का 1121, सुपर सीड का मक्का चारे वाला या सुपर भारत बीज कम्पनी का गेहूँ .1105, बिल पर लिखते हैं, यह तरीका गलत है, क्योंकि इन कम्पनियों के इन किस्मों के अनेक लॉट होंगे और शिकायती किसान के केस में बीज व्यापारी / बीज विक्रेता अपने एरिया में अन्य किसानों को वही लॉट दिया और उनके यहाँ फसल ठीक हुई या कोई शिकायत नहीं थी, के पक्ष में उपभोक्ता न्यायालय में तब तक पुष्ट दावा नहीं कर सकते जब तक उस एरिया के सभी किसानों के बिलों में कम्पनी द्वारा भेजे गये बीज का वही लॉट न हो। न्यायालय को दृढ़ प्रमाण चाहिए। अतः सभी बीज उत्पादक कम्पनियाँ एक अभियान चलाए और विक्रेताओं को बाध्य करें कि प्रत्येक बिल पर पूरा लॉट नम्बर डाले अन्यथा उन्हें चेतावनी दे कि बिल पर पूरा लॉट नम्बर न होने पर विवाद होने पर सहयोग नहीं मिलेगा।

4. **विक्रय लाइसैंस-** .बीज विक्रय लाइसैंस के बिना बीज विक्रय करना खुद में अपराध है,लेकिन बीज उत्पादक कम्पनियों द्वारा यह सुनिश्चित करना कि बीज आपूर्ति के समय विक्रेता ने लाइसैंस नवीनीकृत करवा लिया है, सम्भव नहीं है। बिना लाइसेंस नवीनीकृत करवाये बीज विक्रय की जिम्मेदारी स्वयं विक्रेता की है परन्तु ऐसे मामले सामने आये हैं कि यदि विक्रेता का लाइसैंस वैद्यता अवधी में नहीं है तो वह उस बीज उत्पादक कम्पनी को भी नोटिस जारी कर देता है जिसका विक्रेता बीज बेच रहा है। अतः उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि प्रत्येक बीज पर अंकित करें। इसी प्रकार बीज उत्पादक कम्पनियाँ विक्रेताओं को प्रिंसीपल सर्टिफिकेट जारी करती और उनको कम्पनी का अधिकृत विक्रेता बनाती है। ऐसे प्रिंसीपल प्रमाण.पत्र पर भी लिखें।

बीज उद्योग में प्रिंसीपल सर्टिफिकेट का प्रावधान नही

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बीज उद्योग में प्रिंसीपल सर्टिफिकेट का प्रावधान नहीं है। हरियाणा, हिमाचल, बिहार सरकारों ने प्रिंसीपल प्रमाण.पत्र के लिए बाध्य नहीं किया जाता। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 25.06.1994 से लाइसैंस लेने के लिये प्रिंसीपल प्रमाण पत्र की बाध्यता को खत्म किया हुआ है। उच्च न्यायालयों के निर्णय भी बीज उत्पादकों के पक्ष में है। मात्र साहस की आवश्यकता है। साहसी व्यक्ति के हाथ ही तलवार होते हैं परन्तु कायर आदमी की रक्षा तो मिसाईल भी नहीं कर पाती। संघ के माध्यम से ही इन विषयों को उठाएं एवं समाधान खोजें।

- सौजन्य से. संजय रघुवंशी, प्रदेश संगठन मंत्री, कृषि आदान विक्रेता संघ।

एवं श्री कृष्णा दुबे अध्यक्ष, जागरूक कृषि आदान विक्रेता संघ जिला इंदौर

प्रतिक्रिया.- साथियों मैं यहां अपने विचार रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी इस व्यवसाय में पिछले 50 वर्षों से अच्छे से बीज व्यवसाय को समझता हूं अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी किसान भाई के यहां किसी बीज ने अपनी गुणवत्ता के अनुसार अपने उत्पादन की क्षमता के अनुसार कार्य नहीं किया हो तो वह किसान भाई उपभोक्ता फोरम की शरण में न्यायालय की शरण में जाता है। जब वहां पर यह मामला जाता है कई बार देखा गया है कि जो न्यायाधीश हैं या उपभोक्ता फोरम के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐसे फैसले भी दिए हैं जो की कृषि आदान व्यापारी या बीज उत्पादक कंपनी के फेवर में नहीं रहे इसके लिए मैं यहां कहना चाहूंगा कि जब भी कभी इस प्रकार के कोई मामले आए तो इसमें जो है कृषि वैज्ञानिक भाइयों की भी सलाह ली जाए। **- श्री कृष्णा दुबे अध्यक्ष, जागरूक कृषि आदान विक्रेता संघ जिला इंदौर।**

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन से प्रकाशित, संपादक विवेक जैन। RNI No. MPHIN/2022/85285, मोबा. नं.98262 25025, 94254 89337 (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)।